



दिनांक: 21-12-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा घर में घुसकर लूट की घटना कारित करने वाले /शातिर लूटेरे 02 अभियुक्त गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से लूटे गये -/26400 रुपये नकद ,0) धारीदार कड़े 2 सफेद धातु(व 01 बैग (जिसमें दो मफलर) बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 02.12.ग्राम कादरपुर थाना बेहट 0 को श्री नरेश पुत्र विजयपाल नि 2024 जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरोंद्वारा वादी के भाई मोहर सिंह के घर में घुसकर वादी के भाई को घायल कर देने व वादी की माता जी के कान का कुण्डल लूट लेने व अन्य सामान लूट ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0सं0अ0- 383/ -धारा 24309)6 के पंजीकृत किया गया था। 0एस0एन0बी (

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक बेहट को आदेशनिर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.12.को मुखबिर की स 2024 ूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में घर में घुसकर लूट की घटना कारित करने वाले 1 अभियुक्तगण/शातिर लूटेरे 02- अरुण पुत्र श्यामलाल निभोले के मन्दिर 0 2 बंगाली मौहल्ला ग्राम ताजेवाला थाना खिदराबाद जिला यमुनानगर हरियाणा व- तेजपाल पुत्र राजपाल निरैपुर 0 रानी गोगा जाहरवीर मन्दिर थाना रैपुर रानी पंचकुला चण्डीगढको पठानपुरा चौराहे के पास मनमजरा के रास्ते पर ट्यूबवैल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से लूटे गये 26400/- रुपये नकद ,02 धारीदार कड़े व एक बैग बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में (जिसमें दो मफलर) 317 धारा(2) बीएनएस की बढोतरी की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। 0

पूछताछ का विवरण - अभियुक्तगण ने पूछताछ पर एक साथ बताया गया कि दिनांक 01/02.12.की रात्रि में हम 24 अन्य साथियों के साथ मिलकर ग्राम कादरपुर में एक घर में घुसकर लूट पाट की 02 लोगों द्वारा अपनेघटना की गयी थी। लूट करते समय घर में सो रहा बूढा जाग गया था जिसको हमने कडा मारकर घायल कर दिया था तथा बुढिया के शोर मचाने पर बुढिया के कान से कुण्डल व रुपये लूटकर करके भाग गये थे। कड़े व मफलर का इस्तेमाल हम लोग लूट करने के लिये करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

- 1- अरुण पुत्र श्यामलाल निभोले के मन्दिर बंगाली मौहल्ला ग्राम ताजेवाला थाना खिदराबाद जिला यमुनानगर 0 हरियाणा
- 2- तेजपाल पुत्र राजपाल नि रैपुर रानी गोगा जाहरवीर मन्दिर थाना रैपुर रानी पंचकुला चण्डीगढ 0

बरामदगी का विवरण-

- 26400/- रुपये नगद
- 03 अदद कड़े धारीदार(घटना में प्रयुक्त)
- एक अदद बैग जिसमें दो मफलर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम: -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ श्री 0नि0सन्दीप कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. उ श्री 0नि0अभिषेक चौरसिया थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. हैप्रदीप हुड्डा थाना बेहट जनपद सहारनपुर 538 0का0
5. हैराजीव थाना बेहट जनपद सहारनपुर 586 0का0
6. है सुनील राणा थाना बेहट जनपद सहारनपुर 521 0का0
7. कामोहित धामा 1594 0 थाना बेहट जनपद सहारनपुर
8. काहर्ष चौहान 2036 0 थाना बेहट जनपद सहारनपुर
9. काकुलदी 1323 0प कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर



दिनांक: 21.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 48 पच्चे अवैध देशी शराब (हरियाणा मार्का) बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध मादक/नशीले पदार्थों की रोकथाम एवं इनकी तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.12.2024 को पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान अभियुक्त अकरम पुत्रअसलम नि0ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी सहारनपुर को गागलहेडी जाने वाले पुराने पुल के पास से 48 पच्चे अवैध देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना गागलहेडी पर मु0अ0स0 275/24 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं हरियाणा से शराब सस्ते दामों पर लाकर अपने गांव के आपस पास के क्षेत्र में अधिक दामों में बेच देता हूँ जिससे मुझे अधिक मुनाफा हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अकरम पुत्र असलम नि0ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

➤ 48 पच्चे देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री नरेन्द्रपाल सिंह थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
2. का0 1035 हरेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर
3. का0 1345 सुशान्त कपिल थाना गागलहेडी सहारनपुर



दिनांक: 21.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 14 ग्राम अवैध स्मैक

बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध मादक/नशीले पदार्थों की रोकथाम एवं इनकी तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.12.2024 को पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान अभियुक्त **मुन्ना उर्फ मकबूल पुत्र महबूब कुरैसी निवासी ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी सहारनपुर** को ग्राम कैलाशपुर में गप्पन रोड़ गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 14 ग्राम स्मैक बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गागलहेडी पर मु0अ0स0 274/24 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यावाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि मैं स्मैक को बाहर से सस्ते दामों पर खरीदकर लाता हूँ तथा आस-पास के क्षेत्रों में ट्रक ड्राइवरो/होटल ढाबो व गांव में स्मैक पीने वाले व्यक्तियों को अच्छे दामों में बेचता हूँ जिससे मेरी अच्छी मोटी कमाई हो जाती है। आज भी मैं स्मैक को बेचने के लिये जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मुन्ना उर्फ मकबूल पुत्र महबूब नि0ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 14 ग्राम स्मैक नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 राशिद खान शूरी थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।
2. है0का0 317 सुनील कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर।
3. है0का0 629 धर्मेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर।



दिनांक: 21.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 25 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण 1- अभिषेक पुत्र सन्दीप निवासी ग्राम कोलकी कला थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर व 2-शमी पुत्र असरफ निवासी ग्राम कोलकी थाना गागलहेडी (सहारनपुर) को ग्राम कोलकी कला से बलियाखेडी जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अभिषेक के कब्जे से 13 ग्राम व अभियुक्त शमी से 12 ग्राम कुल 25 ग्राम अवैध स्मैक बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना गागलहेडी पर मु0अ0स0-273/24 धारा-8/21/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यावाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर एक साथ बताया कि हम लोग स्मैक की खरीद फरोख्त का धंधा करते हैं गागलहेडी थाना क्षेत्र और जनपद सहारनपुर के आस- पास के क्षेत्रों में तथा ट्रक ड्राइवरो/होटल ढाबो व गांव में नशा करने वाले व्यक्तियों को अच्छे दामों में बेचते देते हैं जिससे हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अधिक पैसा इकट्ठे करके भारी मात्रा में स्मैक की खरीदारी करते हैं आज भी मैं स्मैक को बेचने के लिये आये थे आज भी हम स्मैक को बेचने के लिये जा रहे थे। जो पैसा मिलता है उससे हम लोग अपने खाने पीने व घूमने फिरने के शौक को पूरा करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1- अभिषेक पुत्र सन्दीप निवासी ग्राम कोलकी कला थाना गागलहेडी (सहारनपुर)
- 2- शमी पुत्र असरफ नि0 ग्राम कोलकी थाना गागलहेडी (सहारनपुर)

आपराधिक इतिहास:- अभियुक्त- अभिषेक

1. मु0अ0स0- 273/24 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना गागलहेडी सहारनपुर।
2. मु0अ0स0-72/2022 धारा 13 जी एक्ट थाना गागलहेडी सहारनपुर।
3. मु0अ0स0 57/2023 धारा -323/452 भादवि थाना गागलहेडी सहारनपुर।
4. मु0अ0स0 10/2024 धारा 13 जी एक्ट थाना गागलहेडी सहारनपुर।
5. मु0अ0स0 220/24 धारा 13 जी एक्ट थाना गागलहेडी सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास:- अभियुक्त- शमी

1. मु0अ0स0- 273/24 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना गागलहेडी सहारनपुर।
2. मु0अ0स0- 104/23 धारा 147/148/304/323/120 बी भादवि थाना गागलहेडी सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण

- 13 ग्राम स्मैक नाजायज (अभिषेक से)
- 12 ग्राम स्मैक नाजायज (शमी से)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री राजकुमार तोमर थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
2. का0 2259 पालेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर ।
3. का0 2164 जसवन्त कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर ।
4. का0 2344 प्रवीण कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर ।



दिनांक: 21.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे
126 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गस्त के दौरान शातिर 01अभियुक्त शमी उर्फ मुस्तकीम पुत्र सत्तार निवासी मौ 0गुज्जरवाडा कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 126 ग्राम स्मैक बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना देवबंद पर मु 2024/0699 0सं0अ0धारा 25/8NDPS ACT, पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यावाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शमी उर्फ मुस्तकीम पुत्र सत्तार निवासी मौ 0गुज्जरवाडा कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0आबकारी अधि 60 धारा 11/308 0सं0अ0 थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. मु थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 0आयुध अधि 25/4 धारा 11/309 0सं0अ0।
3. मु जी सीआरपीसी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 110 धारा 11/354 0सं0अ0।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 126 ग्राम स्मैक नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ 0नि0श्री संजय कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
2. है0का 0698संदीप भाटी थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 गोविन्द 902थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
4. का पवन सिरोही 016थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
5. का राहुल 2019 0थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 21.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अलग-अलग मामलों में 05 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा अलग-अलग मामलों में **05 वारंटी अभियुक्तगण** 1. विनित कुमार पुत्र धनप्रकाश निवासी ग्राम पीकी थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर को सम्बंधित वाद स0 6565/13 धारा 498ए/323/504 भा0द0वि0 व ¾ दहेज अधि0 चालानी थाना नकुड सहारनपुर में, 2. इकराम पुत्र कासिम तेली निवासी ग्राम पीकी थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर को सम्बंधित वाद स0 203/15 धारा 135 वि0 अधि0 थाना बेहट सहारनपुर से, 3. अनिल कुमार पुत्र धनप्रकाश निवासी ग्राम पीकी थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर को सम्बंधित वाद स0 6565/13 धारा 498ए/323/504 भा0द0वि0 व ¾ दहेज अधि0 चालानी थाना नकुड सहारनपुर में, 4. हिमांशू पुत्र अशोक निवासी ग्राम दतौली राघड थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर को सम्बंधित वाद स0 261/23 धारा 379/411 भा0द0वि0 चालानी थाना मिर्जापुर सहारनपुर व 5. सतीश पुत्र पाल्लेराम निवासी ग्राम दतौली राघड थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर को सम्बंधित वाद स0 832/24 मु0अ0स0 355/07 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना को0 नगर सहारनपुर में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगणों समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

1. विनित कुमार पुत्र धनप्रकाश निवासी ग्राम पीकी थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
2. इकराम पुत्र कासिम तेली निवासी ग्राम पीकी थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
3. अनिल कुमार पुत्र धनप्रकाश निवासी ग्राम पीकी थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
4. हिमांशू पुत्र अशोक निवासी ग्राम दतौली राघड थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
5. सतीश पुत्र पाल्लेराम निवासी ग्राम दतौली राघड थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री संजय शर्मा थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री सुबोध कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 241 कपिल कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 1084 विक्की कुमार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
5. का0 2173 विवेक कुमार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 21.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 10 ग्राम अवैध स्मैक व मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मदाक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 20.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चौकिग/गश्त के दौरान 01 नशा तस्कर अभियुक्त नईम पुत्र फुरकान निवासी ग्राम हलगुवा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर को आसनवाली से ग्राम पीकी की तरफ जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 10 ग्राम अवैध स्मैक व बिना कागजात की एक मोटरसाइकिल एचएफ डिलेक्स यूपी 11 बीवी 8328 बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0 506/24 धारा 8/21/60 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। मोटरसाइकिल को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट के सीज किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं नशा करने का आदी हूँ और हरियाणा राज्य से पुलिस से बचते बचाते हुए सस्ते दामों पर नशीला सामान खरीद लाता हूँ। अपने आस-पास के जो लोग नशा करते हैं उनको अधिक दाम पर बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छी कमाई हो जाती है और मेरी नशे की जरूरत भी पूरी हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नईम पुत्र फुरकान निवासी ग्राम हलगुवा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

10 ग्राम अवैध स्मैक

01 मोटर साइकिल एचएफ डिलेक्स (अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज)

अभियुक्त नईम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

निल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री संजय शर्मा थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर
2. है0का0 1084 विक्की कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर
3. का0 2255 सोनवीर थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर



दिनांक 21.12.2024 -

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना तीतरोसहारनपुर, पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त 03ों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक/ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना तीतरो पुलिस टीम द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तगण .1 नरेश पुत्र दयाराम निवासी ग्राम बालू थाना तीतरो जनपद सहारनपुर .2, कंवरपाल पुत्र दयाराम निवासी ग्राम बालू थाना तीतरो जनपद सहारनपुर व .3 मोनू पुत्र कंवरपाल निवासी ग्राम बालू थाना तीतरो जनपद सहारनपुर, सम्बन्धित वाद संख्या भादवि में 506/504/325/323 धारा 2024/5227 माननीय न्यायालय अपर सिविल जज (0डि0जू) चतुर्थ कोर्ट नके अनुपालन में सहारनपुर 33 0 उनके ग्राम बालू से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- .1 नरेश पुत्र दयाराम निवासी ग्राम बालू थाना तीतरो जनपद सहारनपुर।
- .2 कंवरपाल पुत्रगण दयाराम निवासी ग्राम बालू थाना तीतरो जनपद सहारनपुर।
- .3 मोनू पुत्र कंवरपाल निवासी ग्राम बालू थाना तीतरो जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- .1 उ 0नि0श्री विकास तोमर थाना तीतरो जिला सहारनपुर।
- .2 कासहारनपुर रविन्द्र कुमार थाना तीतरो जिला 1034 0।
- .3 काजितेन्द्र कुमार थाना तीतरो जिला सहारनपुर 2454 0।



दिनांक 21.12.2024 -

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावासहारनपुर, पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक/ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा 01 वारंटी **अभियुक्त माचा पुत्र रिसीपाल निवासी ग्राम ब्रहमण माजरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 0स0मुअ 24/6314 भादिव 504/307 धारा 2016/138 को ग्राम ब्रहमण से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

माचा पुत्र रिसीपाल निग्राम ब्रहमण माजरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर 0र।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- .1 उ 0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह थाना सरसावा सहारनपुर।
- .2 हेजयप्रकाश थाना सरसावा सहारनपुर 25 0का0।
- .3 का मोनू थाना सरसावा सहारनपुर 1497 0।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 21.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार,
14 कब्जे से ग्राम स्मैक नाजायज बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री हृदय नारायण सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक बिर की सूचना परको मुख 21.12.2024 थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा 01 शातिरनशा तस्कर अभियुक्ता चांदनी पत्नी नौशाद निवासी लहियागढ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को लहियागढ तिराहे से जाने वाले कच्चे रास्ते पर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के कब्जे से 14 ग्राम अवैध स्मैक बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्ता चांदनी उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु एनडीपीएस एक्ट 21/8 धारा 2024/376 0सं0अ0पंजीकृत किया गया। अभियुक्ता के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुए मान्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहा 0 है।

अभियुक्ता चांदनी द्वारा बताया गया कि यह स्मैक मैंने एक व्यक्ति से खरीदी थी जिसका नाम व पता नहीं जानती हूँ वह मुझे रास्ते में मिलता है। मैंने स्मैक सस्ते दामों पर खरीद कर छोटी छोटी पुडिया बनाकर आस पास - के गाँव में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेती हूँ। आज भी मैं स्मैक को लेकर जा रही थी।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता:-

चांदनी पत्नी नौशाद निलहियागढ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर 0

बरामदगी का विवरण:-

➤ 14 ग्राम स्मैक नाजायज,

अभियुक्ता चांदनी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

.1मु22/179 0स0अ0 धारा 21/8एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री हृदय नारायण सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री जयवीर सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है कपिल कुमार 388 0का0थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. है अमित भाटी 974 0का0थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. का कपिल कुमार 1215 0थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
6. का जयदीप 1558 0थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



दिनांक 21.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावासहानरपुर, पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक को वादी श्री 19.08.2024 बबलू उर्फ सन्नी पुत्र रोशनलाल निवासी ग्राम बहलोलपुर थाना सरसावा जनपद सहानरपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1 . नीरज पुत्र जगदीश, 2 . मनोज पुत्र बाबूराम, 3 . राहुल पुत्र सुशील निवासी गण ग्राम शहाँजहापुर थाना सरसावा सहानरपुर, 4 . अजय पुत्र ओम सिंह निवासी ग्राम बहलोलपुर थाना सरसावा जनपद सहानरपुर व 5. भूरा कबाडी उर्फ मुनीर पुत्र जहीर अहमद निवासी मौ0 अफगनान कस्बा व थाना सरसावा सहानरपुर द्वारा ट्यूबैल के मोटर चोरी करने की सूचना के सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु बीएनएस (2)317, (2)303 धारा 24/234 0सं0अ0पंजीकृत कराया गया था। पूर्व में अभियुक्तगण को 04 गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहानरपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित वारण्टी अपराधियों की/ गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक को 21.12.2024 वांछित 01 मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त भूरा कबाडी उर्फ मुनीर पुत्र जहीर अहमद निवासी मौ0 अफगनान कस्बा व थाना सरसावा सहानरपुर 0 को दुकान गुरुद्वारे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। 0

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

भूरा कबाडी उर्फ मुनीर पुत्र जहीर अहमद निवासी मौ0 अफगनान कस्बा व थाना सरसावा सहानरपुर -

आपराधिक इतिहास अभियुक्त

1. मु 0सं0अ015/2011 धारा भादवि 420/411/379 थाना फतेहपुर सपुर0
2. मु49 0सं0अ0/2011 धारा 0गुण्डा अधि 3 थाना सरसावा सपुर0
- .3 मु पुर0 भादवि थाना सरसावा स 420/414 धारा 2013/166 0सं0अ0
- .4 मु पुर0 जी सी आर पी सी थाना सरसावा स 110 धारा 2015/106 0सं0अ0
- .5 मु पुर0 थाना सरसावा स 0गुण्डा अधि 3 धारा 14/182 0सं0अ0
- .6 मु पुर0 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा स 25/4 धारा 12/314 0सं0अ0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उश्री केरन सिंह थाना सरसावा जनपद सहानरपुर 0नि0
2. का विनीत कुमार थाना सरसावा जनपद सहानरपुर 1997 0
3. का विक्रान्त थाना सरसावा जनपद सहानरपुर 96 0



दिनांक 21.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त 01 को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित / वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवंक्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त राजू पुत्र रामस्वरूप निग्राम नैनखेडा 0 थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद संख्या 24/5653) भादवि 324/504/323 धारामा में (द्वितीय सहारनपुर 0एम0न्यायालय जे 0ग्राम नैनखेडा से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मान्यायालय के समक्ष पेश किया जा 0 रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

राजू पुत्र रामस्वरूप निग्राम नैनखेडा 0 थाना रामपुर मनिजिला सहारनपुर 0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री लक्ष्मण थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर
- 2.कासहारनपुर 0राहुल कुमार थाना रामपुर मनि 2503 0



-प्रेस नोट-

दिनांक 21.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना देवबंद सहारनपुर, पुलिस द्वारा 02वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक को वादी इसरार पुत्र शकूर निवासी ग्राम बन्हेडा खास थाना 05.11.24 देवबन्द जनपद सहारनपुर कीलिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण .1 आस मोहम्मद पुत्र गुलाम मौहम्मद .2 , नाजिम पुत्र आस मोहम्मद .3 , नावेद पुत्र आस मोहम्मद .4 , नदीम पुत्र आस मोहम्मद .5 , जीशान पुत्र आस मोहम्मद .6 , फैजान पुत्र आस मोहम्मद व .7 बाबर पुत्र आस मोहम्मद निवासीगण ग्राम बन्हेडा खास थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर व 03अज्ञात व्यक्तियों द्वारा नीव खोदकर दीवार बनाने को लेकर एक राय होकर लाठी व डण्डे व सरिया लेकर प्रार्थी के घर में घुसकर प्रार्थी के पिता शकूर व भाई इकराम व इंसार के साथ गाली गलौज कर जान से मारने की नियत से मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने व प्रार्थी की माता हफीजन व बहन नसरीन व भतीजा आसिफ के द्वारा उन्हे छुडाने पर विपक्षीगण के द्वारा लाठी व डण्डो व सरिया से जाने से मारने की नियत से हमला करने की सूचना के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु धारा 24/614 0सं0अ0 (1)109/(2)351/352/333/(1)191बीएनएस में पंजीकृत किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित वारण्टी/अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.12 2024.को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गस्त के दौरान .1 वांछित अभियुक्तगण 02नावेद पुत्र आस मोहम्मद निवासी ग्राम बन्हेडा खास थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर व .2बाबर पुत्र आस मोहम्मद निवासी ग्राम बन्हेडा खास थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर को थाना क्षेत्र देवबन्द से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. नावेद पुत्र आस मोहम्मद निवासी ग्राम बन्हेडा खास थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. बाबर पुत्र आस मोहम्मद निवासी ग्राम बन्हेडा खास थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास(अभियुक्तगण नावेद व बाबर) -

मु (1)109/(2)351/352/333/(1)191 धारा 24/614 0सं0अ0बीएनएस थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1 .उ 0नि0श्री विकास चारण थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
- .2 है अरुण सौलंकी 794 0का0थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
- .3का गौरव दांगी 976 0थाना देवबंद जनपद सहारनपुर



दिनांक: 21.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को
कर्नाटक से किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 21.09.2024 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0 353/24 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत महिला सम्बन्धित अपराध से जुड़े वांछित/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 20.12.2024 को थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के दौरान प्रकाश मे आये **अभियुक्त संदीप पुत्र सतीश निवासी ग्राम जैनपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को लोकेशन व सीडीआर के आधार पर **मोहल्ला ओमकार नगर थाना शाहपुर जनपद बेलगावी राज्य कर्नाटक से दिनांक 18.12.2024 को गिरफ्तार** किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय जेएमएफसी 3 बेलगावी के समक्ष पेश कर माननीय न्यायालय से दिनांक 24.12.2024 समय 11:00 बजे तक का ट्रांजिट रिमाण्ड स्वीकृत करा जनपद सहारनपुर लाया गया। पीडिता के बयान, मेडिकल व साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 64(2)एम बीएनएस व 5एल/6 पोक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

संदीप पुत्र सतीश निवासी ग्राम जैनपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 श्री संजीव कुमार थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर
2. उप नि0 श्री आनन्दपाल थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर
3. का0 95 विक्रान्त थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर



दिनांक: 21.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा चोरी के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 30.10.24.2024 को वादी राहुल सिडाना पुत्र जगदीश कुमार निवास बेरी बाग म0न0 13 थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के कारखाने से इन्वेटर बैट्रा व एगजास्ट फैन चोरी कर लेने की सूचना के सम्बन्ध में थाना कोत0देहात पर मु0अ0सं0 453/24 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व चोर/नकबजन/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में चोरी के मामलों में वांछित **अभियुक्त मंयक पुत्र गुलशन निवासी न्यू गोपाल नगर नुमाईश कैम्प थाना को0 नगर जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

अभियुक्त मंयक पुत्र गुलशन निवासी न्यू गोपाल नगर नुमाईश कैम्प थाना को0 नगर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री संजय कुमार शर्मा थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 1084 विककी कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
3. का0 2255 सोनवीर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 21.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछितवारंटी//शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त आसिफ पुत्र नौशाद निवासी निकट शिव मंदिर,तिलकनगर शिवपुरी कालोनी थाना फरकपुर जिला यमुनानगर को वाद सं0 859/2022 रिकवरी वारंट मा0 परिवार न्यायालय ,सहारनपुर मे रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म थाना सदर बाजार सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

आसिफ पुत्र नौशाद निवासी निकट शिव मंदिर,तिलकनगर शिवपुरी कालोनी थाना फरकपुर जिला यमुनानगर

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

मु0अ0स0 0090/2021 धारा498 ए/323 भादवि व 3/4 दहेज अधीनियम थाना महिला थाना सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री शिव कुमार गौतम थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।
2. का0 1469 इरफान अली थाना सदर बाजार सहारनपुर ।



दिनांक: 21.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाला 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 08/09/2024 को वादी द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत नाबालिग बहन को वादी के घर से बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में सूचना पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0स0 225/24 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम सोनू उर्फ रियाज पुत्र फरमान निवासी मौहल्ला शाहमदार निकट बडी मस्जिद थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा महिला सम्बन्धित अपराध में वांछित/शातिर अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21/12/24 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित **अभियुक्त सोनू उर्फ रियाज पुत्र फरमान निवासी शमादार निकट बडी मस्जिद थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर** को बडी मस्जिद के पास शमादार से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

सोनू उर्फ रियाज पुत्र फरमान निवासी शमादार निकट बडी मस्जिद थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. म0उ0नि0 नेहा उपाध्याय थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अनुज फोगाट थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
3. म0का0 828 पूजा निश्चल थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर



दिनांक: 21.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 05 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन में वारण्टी/वांछित/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24-12-2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा 05 वारंटी अभियुक्तों 1. फरमान पुत्र अफजाल निवासी काली के मन्दिर के पास उपवन विहार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर 2. वारन्टी वसीम पुत्र इसराईल निवासी मौ 3 नूर बस्ती थाना कोतवाली नगर सहारनपुर 0. इमरान उर्फ राजू पुत्र इनाम निवासी मौ 0 सामाहदार रशीद ठलाई वाले के पास थाना कोतवाली नगर सहारनपुर, 4. वारन्टी सुभाष पुत्र जयसिंह कश्यप निवासी मौ, काहरान थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर 05 सुरेश उर्फ काका पुत्र छेदीलाल निवासी. फूसकोठी थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर को थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. फरमान पुत्र अफजाल निवासी काली के मन्दिर के पास उपवन विहार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
2. वारन्टी वसीम पुत्र इसराईल निवासी मौ 0 नूर बस्ती थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
3. इमरान उर्फ राजू पुत्र इनाम निवासी मौ 0 सामाहदार रशीद ठलाई वाले के पास थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
4. वारन्टी सुभाष पुत्र जयसिंह कश्यप निवासी मौ 0 काहरान थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर उम्र करीब –
5. सुरेश उर्फ काका पुत्र छेदीलाल निवासी फूस कोठी थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर उम्र करीब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री केदार सिंह थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री मान सिंह थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
3. है0का0 380 आजाद थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
4. का0 1342 कपिल कुमार कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।



दिनांक: 21.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त बिलाल पुत्र इकबाल निवासी मो0 कमेला कालोनी अल्ला वाली गली थाना मण्डी सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं0 4518/24 , मु0अ0सं0 452/2005 , धारा 4/25 आयुध अधि0 चालानी थाना मण्डी सहारनपुर नियत दिनांक 08.01.2025 सम्बन्धित मा0 न्यायालय एसीजेएम -3 सहारनपुर में मोहल्ला कमेला कालोनी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

बिलाल पुत्र इकबाल निवासी मो0 कमेला कालोनी अल्ला वाली गली थाना मण्डी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

- 1.उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
- 2.उ0नि0 श्री रणवीर थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
- 3.का0 1600 मनोज आर्य थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
- 4.का0 2018 सन्दीप कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 21-12-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा **मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 नशा तस्कर अभियुक्त** **गिरफ्तार, कब्जे से 12 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस द्वारा दिनांक 20/12/2024 को अभियुक्त शादान पुत्र अदनान निवासी मौहल्ला अनारकली कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर उम्र लगभग 28 वर्ष को दौराने चैकिंग लखनौती रोड़ से नकुड़ रोड़ पर बिजलीघर के पास थाना गंगोह जनपद सहारनपुर से समय करीब 23.00 बजे नाजायज स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 12 ग्राम अवैध स्मैक बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0स0- 547/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ विवरण- अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं नशे का आदी हूँ। मैं अपने शौक को पूरा करने के लिये स्मैक को सस्ते दामों में बेचने का काम करता हूँ। स्मैक बेचकर जो पैसे कमाता हूँ, उससे मैं अपने खाने पीने व मौज मस्ती पर खर्च कर देता हूँ

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शादान पुत्र अदनान निवासी मौहल्ला अनारकली कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर उम्र लगभग 28 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

➤ 12 ग्राम नाजायज स्मैक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री नीरज कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. है0का0 362 अमित पंवार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. कां0 326 रिकू थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



दिनांक: 21-12-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नांगल पुलिस द्वारा हत्या के मामलों में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 09.11.2024 को वादी श्री गंज फरीद पुत्र फरीद अख्तर उर्फ बाबू निवासी सिकन्दरपुर भैंसवाल थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार की लिखित तहरीर बावत अभियुक्तगण 1.हसीन, 2.अफजाल व 3.सादाब उर्फ सोनू पुत्रगण इकबाल निवासीगण सिकन्दरपुर भैंसवाल थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार द्वारा वादी के भाई हुसनैन व शोएब की गोली मारकर हत्या कर देने की सूचना के सम्बन्ध में थाना नांगल पर मु0अ0सं0 345/24 धारा 103(1) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था। विवेचनात्मक कार्यवाही से मुकदमा उपरोक्त में धारा 61(2)/3(5)बीएनएस की वृद्धि की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक नांगल को आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व में दिनांक 21.12.24 को मुखबिर की सूचना पर थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए वांछित हत्यारोपी अभियुक्त हसीन उर्फ वसीम पुत्र इकबाल निवासी सिकन्दरपुर भैंसवाल थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार को सीडकी तिराहे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मृतक हुसनैन व शोएब ने मेरे भाई मारुफ की तालाब में डुबोकर हत्या कर दी थी। जिसका बदला हम लोगो ने ले लिया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

हसीन उर्फ वसीम पुत्र इकबाल निवासी सिकन्दरपुर भैंसवाल थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. का0 चालक कपिल कुमार थाना नांगल सहारनपुर